THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) Rashtriya Ispat Nigam Limited (Visakhapatnam Steel Plant) has made a cash profit of Rs. 176 crores in 1996-97 (12 months unaudited) and Rs. 15.60 crores during 1997-98 (12 months prov. unaudited). However, it registered net losses during 1996-97 (unaudited) and 1997-98 (unaudited prov.) to the tune of Rs. 246 crores and Rs. 419 crores respectively.

(b) The details of production, consumption and outside sales of Metallurgical Coke in 1995-96, 1996-97 and 1997-98 are given below:

(Unit Tonnes)

Year	Production	Consumption	Despatches for outside sales
1995-96	1960758	1720747	54293
1996-97	1895273	1656970	50785
1997-98	1810289	1639826	12193

(c) Outside sale of Blast Furnace Coke (metallurgical coke) being marginal, on account of VSP consuming almost its entire production of coke, the impact of imported metallurgical coke from China on its outside sales is insignificant.

नई खनन नीति का कार्यान्वयन

2250. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई खनन नीति को लागू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो नई खनन नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) नीतिगत परिवर्तनों के क्या उद्देश्य हैं तथा क्या इनका नये निवेश और रोजगार सृजन के मामले में प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान निजी क्षेत्र, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा नये निवेश हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग) राष्ट्रीय खनिज नीति वर्ष, 1993 में घोषित की गई थी जिसमें यह उल्लेख किया गया कि उच्च मूल्य वाले और दुलर्भ खनिजों के गवेषण और खनन में विदेशी प्रौद्योगिकी के प्रवेश और भागीदारी को जारी रखा जाएगा। 13 खनिज, जो इससे पहले (वर्ष, 1993 तक) सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा विदोहन किए जाने के लिए आरक्षित थे, निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिये गये हैं ताकि गवेषण और विदोहन के लिए विदेशी निवेश और आधुनिक प्रौद्योगिकी सहित और अधिक निवेश को आकर्षित किया जा सके। राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 को क्रियान्वित करने के लिए वर्ष, 1994 में खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में संशोधन किए गए। इन संशोधनों में भारत की खनन कंपनियों में विदेशी इक्विटी पर लगे प्रतिबंधों को हटाना जिससे 100% तक भी विदेशी इक्विटी की मंजूरी दी जा सके, लेकिन इसके लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी लेनी होगी बशर्ते कि कंपनी भारत में पंजीकृत हो, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम की अनुसूची-1 के भाग ग से 15 खनिजों को हटाना, खनन पट्टे की न्यूनतम अवधि बढ़ाकर 20 वर्ष करके, खनन पट्टे की अधिकतम अवधि 20 से बढ़ाकर 30 वर्ष, खनन पट्टे के नवीकरण की अधिकतम अवधि 10 से बढ़ाकर 20 वर्ष, पूर्वेक्षण लाइसेंस की अवधि 2 से बढ़ाकर 3 वर्ष करना और पूर्वेक्षण लाइसेंस 2 वर्ष तक नवीकरण करने की मंजूरी देकर अवधि के अधिक स्थायित्व के लिए प्रावधान शामिल है। खनिज रियायत नियम, 1960 और खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 में भी संशोधन किए गए हैं।

(घ) सरकार, निजी क्षेत्र, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश के लिए इस प्रकार के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करती।